हडको/सीएसडब्ल्यू/एलसी/2025 09 अप्रैल, 2025

लिस्टिंग विभाग
बीएसई लिमिटेड
फिरोज जीजीभॉय टावर्स
दलाल स्ट्रीट
मुंबई- 400001
स्क्रिप कोड- 540530

लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई 400051
एनएसई सिंबल- हडको

विषय: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत प्रकटीकरण- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर छूट बांड जारी करने की अनुमति।

महोदय/महोदया,

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुक्रम में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1644(ई) के तहत से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) को दिनांक 01 अप्रैल 2025 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर छूट बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधिसूचना की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।

कृपया सूचनार्थ

धन्यवाद

भवदीय
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्नः यथोपरि

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042025-262339
CG-DL-E-08042025-262339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1613] नई दिल्ली, मंगलवार,अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947
No. 1613] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

का.आ.1644(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 ङग *के स्पष्टीकरण के खंड (खक)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान) द्वारा पांच साल के बाद मोचन योग्य और दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किए गए बंधपत्र, 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में होंगे।

2. हुडको ऐसे बंधपत्र से प्राप्त राशि का उपयोग केवल उन बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए करेगा जो ऋण अदायगी के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर हुए बिना परियोजना राजस्व से ऋण अदायगी कर सकती हैं ।

स्पष्टीकरण : *इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ,*

(क) ' अवसंरचना ' में सभी अवसंरचना उप - क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 262 , जिसे फा.सं. 13 / 1 / 2017 - आईएनएफ दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 (अवसंरचना उप - क्षेत्रों की अद्यतन सुसंगत मुख्य सूची), द्वारा परिभाषित किया गया है और इसमें उनमें किए गए कोई भी संशोधन या परिवर्धन शामिल होंगे;

(ख) 'अवसंरचना परियोजना' से तात्पर्य अवसंरचना क्षेत्र में कोई परियोजना से है ।

[अधिसूचना सं. 31/2025/फा. सं. 225/06/2024/ITA-II]

कात्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2025

S.O. 1644(E).—In exercise of the powers conferred by *clause (ba) of Explanation* to section 54EC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that bonds redeemable after five years and issued on or after 01st day of April, 2025, by the Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (a public financial institution notified by the Central Government under section 2(72) of the Companies Act, 2013), as 'long-term specified asset' for the purposes of the said section.

2. HUDCO shall utilise the proceeds from such bonds only for those infrastructure projects which can service the debt out of the project revenues without being dependent on the State Governments for the service of debts.

Explanation: *For the purpose of this notification,*

(a) 'Infrastructure' includes all infrastructure sub-sectors as defined vide notification no. 262 of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance issued by F.No.13/1/2017-INF dated October 11, 2022 (Updated Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors) and shall include any amendments or additions made thereof;

(b) 'Infrastructure project' means any project in Infrastructure sector.

[Notification No. 31/2025/F. No. 225/06/2024/ITA-II

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.04.08 18:08:04 +05'30'